प्रेस नोट दिनांक 16.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 16.04.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त कराने में सहयोग करने वाले वांछित अभियुक्त रमेश चन्द्र को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

भू-मानचित्र में अनाधिकृत हेरफेर और धोखाधड़ी के मामले में वांछित रमेश चन्द्र को थाना कुण्डा पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सरकारी दस्तावेजों के साथ मिलीभगत कर कूट रचना करने वाले गिरोह पर पुलिस का कड़ा प्रहार।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:
जनपद के तहसील कुण्डा अंतर्गत ग्राम जमेठी निवासी द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर गाटा संख्या 2411 व 2412 में राहुल कुमार पाण्डेय द्वारा अवैध कटान एवं सीमांकन में हेरफेर कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे।

जांच में पाया गया कि निजी लाभ की पूर्ति हेतु गाटा संख्या के राजस्व अभिलेखों में अनियमित परिवर्तन किए गए। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-407/2021 के अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भा0दं0वि0 के तहत राहुल कुमार पाण्डेय के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा कृपा शंकर मिश्रा (तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र जमेठी) एवं रमेश चन्द्र सरोज ने मुख्य अभियुक्त राहुल कुमार पाण्डेय के साथ मिलीभगत कर ग्राम जमेठी का भू-मानचित्र अनाधिकृत रूप से उपलब्ध कराया था।

उक्त अनाधिकृत मानचित्र के आधार पर गाटा सं0 2411 व 2412 की सीमा रेखाओं में कूटरचना (Forgery) की गई। दोनों गाटों को नियम विरुद्ध तरीके से मिलाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसके आधार पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त किया गया था।

विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्ट हुआ कि वर्ष 2019-2021 के दौरान ARK देही (सदर अभिलेखागार) के पद पर कार्यरत कर्मी के कार्यकाल में ही मानचित्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अनाधिकृत कट-छांट की गई थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में क्राइम निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, मय चालक का0 हरेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-407/2021 धारा 467/468/471/420/120बी भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रमेश चन्द्र पुत्र स्व० लालता प्रसाद निवासी ग्राम आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र 43 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रमेश चन्द्र पुत्र स्व० लालता प्रसाद निवासी ग्राम आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र 43 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

क्राइम निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, मय चालक का0 हरेन्द्र सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.04.2026
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त करन को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/70

(2)/351 (3) बीएनएस व 5जी /6 पाक्सो एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त करन पुत्र रामजश नि0 नेवढिया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रेलवे फाटक अन्तू के पास बजऊ का पुरवा रोड से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. करन पुत्र रामजश नि0 नेवढिया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश यादव थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.04.2026
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रियांशु पटेल को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हे0का0 मनोज यादव, का0 सुजीत यादव व म0पीआरडी जरीना द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-137(2)/87 B.N.S. थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रियांशु पटेल पुत्र बसंतलाल पटेल निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया भोजेमऊ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. प्रियांशु पटेल पुत्र बसंतलाल पटेल निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हे0का0 मनोज यादव, का0 सुजीत यादव व म0पीआरडी जरीना थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नो दिनांक: 16.04.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस व स्पेशल टीम द्वारा अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस व स्पेशल टीम की बड़ी कार्यवाही, अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश
प्रतापगढ़ पुलिस का प्रहार: अवैध अफीम की खेती करने वाला गिरफ्तार
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती, खेत में उगाई जा रही अफीम बरामद
सूचना पर त्वरित एक्शन, पुलिस ने पकड़ी अवैध अफीम की खेती
थाना पट्टी पुलिस व स्पेशल टीम की सक्रियता से अफीम की अवैध खेती का खुलासा

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों एवं नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे निर्णायक अभियान "ऑपरेशन प्रहार" के तहत थाना पट्टी पुलिस व जनपदीय स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी कर ग्राम धनगर सराय छिवलहा में लहलहा रही अफीम की अवैध फसल को बरामद कर जमींदोज कर दिया है।

जनपद में अपराध की कमर तोड़ने हेतु जारी "ऑपरेशन प्रहार" के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में पुलिस टीम को सूचना मिली कि थाना पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनगर सराय छिवलहा में प्रतिबंधित अफीम की खेती की जा रही है।

दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी पृथ्वीगंज श्री प्रदीप कुमार मौर्य, चौकी प्रभारी बंधवा श्री अनीश कुमार यादव एवं स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से चिन्हित स्थल पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान खेत में भारी मात्रा में प्रतिबंधित अफीम के पौधे पाए गए, जिसे अभियुक्त शिवकुमार यादव पुत्र स्व. रामदुलार यादव द्वारा गुपचुप तरीके से उगाया जा रहा था।

कार्यवाही का विवरण: प्रशासनिक एवं विधिक प्रक्रिया:-
मौके पर सत्यापन: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभारी तहसीलदार एवं राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया।

फसल का विनिष्टीकरण: अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अफीम की अवैध खेती को पूरी तरह नष्ट (Eradicate) कराया गया।
अभियुक्त पर शिकंजा: खेत को बटाई पर लेकर अवैध धंधा करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट की कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
तत्पश्चात अभियुक्त शिवकुमार यादव पुत्र स्व० रामदुलार यादव निवासी ग्राम धनगर सराय छिवलहा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही लगातार जारी है तथा इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम:
थाना पट्टी पुलिस- उ0नि0 प्रदीप कुमार मौर्य (प्रभारी चौकी पृथ्वीगंज), उ0नि0 अनीश कुमार यादव (प्रभारी चौकी बंधवा) मय थाना पट्टी पुलिस बल।
स्पेशल टीम:- निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह, हे0का0 महेश सिंह, का0 राकेश कुमार सरोज, का0 वीरेंद्र यादव।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट किया है कि "ऑपरेशन प्रहार" के तहत जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशा तस्करों और इस अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों की संपत्तियों और उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।